न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प कोर्ट भोपाल

निगरानी 1552-PBR-15

विदेश कुमार फौजदार आ0स्व0श्री गुलाब चन्द फौजदार
निवासी आनन्द नगर होशंगाबाद ------------------------पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

1सत्यैन्द्र फौजदार आ0स्व0श्री गुलाब चन्द फौजदार
निवासी मीनाक्षी टाकीज के पास मीनाक्षी चौक होशंगाबाद
2सुरेशचन्द फौजदार आ0स्व0श्री गुलाब चन्द फौजदार
निवासी शनीचरा मोहल्ला होशंगाबाद
3 आजाद मोहन फौजदार आ0स्व0श्री गुलाब चन्द फौजदार
निवासी शनीचरा मोहल्ला होशंगाबाद
4 श्रीमति आशा फौजदार पत्नि स्व0श्री राजेन्द्र फौजदार
5 रुपेश कुमार फौजदार आ0स्व0श्री राजेन्द्र फौजदार
6 कलिगं फौजदार आ0स्व0श्री राजेन्द्र फौजदार
7 सिद्धार्थ फौजदार आ0स्व0श्री राजेन्द्र फौजदार
क04 लगायत 7 सभी निवासी बाधवगढ कालोनी
रघुराज नगर सतना जिला सतना --------------------उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्त्ता यह याचिका न्यायालय श्रीमान नजूल अधिकारी महोदय होशंगाबाद के राजस्व प्रकरण क 251अ/6 वर्ष 09.10 श्रीमति आशा फौजदार बनाम सत्यैन्द्र फौजदार व अन्य मे पारित आदेश दिनॉक 10.10.2012 से उत्पन्न प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय होशंगाबाद राजस्व अपील क 10अ/6 वर्ष 12,13सत्यैन्द्र फौजदार बनाम श्रीमति आशा व अन्य मे पारित आदेश दिनॉक 04.09.2013 के विरुद्ध द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय होशंगाबाद सभाग नर्मदापुरम अपील क 35अपील 13.14 आशा फौजदार बनाम सत्यैन्द्र फौजदार मे पारित आदेश दिनॉक 31.03.15 मे पारित आदेश जिसकी जानकारी दिनॉक 13.04.15 को प्राप्त होने पर उससे क्षूद्ध एवं व्यथित होकर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजेन्द्र कुमार फौजदार एवं पुनरीक्षणकर्त्ता व उत्तरदातागण क 1 लगायत 3 का नाम नगर होशंगाबाद के नजूल शीट नं 51 के प्लाट क.8/2 रकबा 40,000 वर्गफुट पर संयुक्त नाम स्वत्व एवं अधिपत्यधारी की हैसीयत से दर्ज 20 साल से चला आ रहा है। सह स्वामी राजेन्द्र कुमार की मृत्यु हो जाने पर श्रीमति आशा ने अपने पति एवं कलिग ,रुपेश व सिद्धार्थ के पिता राजेन्द्र कुमार के नाम के स्थान पर राजस्व दस्तावेजो मे वारसान हक

R 1552-Ank/15 देहरादून

28.1.2016	अनावेदक क्रमांक 1 अपने अभिभावक श्री ~~कुल~~ मनदीप गौर के साथ उपस्थित। आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।	28/1/016 Noted. कोई निर्देश प्राप्त नहीं 28/1/16
D.D.	अध्यक्ष	

शाक्षेमुग्वा—712—फार्म—29-2-12—5,000 प्रपत्र.